"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 जून 2018 — ज्येष्ठ 12, शक 1940

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–20/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) की धारा 86 सहपठित धारा 355 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 6 में,–

(एक) उप–नियम (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"(घ) अन्य शासकीय सेवाओं से संविलियन द्वारा।"

(दो) उप–नियम (4) में, शब्द "तो वह" के पश्चात्, अल्प विराम चिन्ह एवं शब्द ",छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से," अन्तःस्थापित किया जाये।

2. नियम 8 में, खण्ड (एक) में,–

(क) उप–खण्ड (ङ) में, स्पष्टीकरण में,–

(क) पैरा (पांच) में, शब्द "छः माह" के स्थान पर, शब्द "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) पैरा (आठ) में, शब्द "अलग कर दिया गया हो" के पश्चात्, शब्द "किन्तु जो सिविल सेवा करने हेतु योग्य हो।" अन्तःस्थापित किया जाये।

(ख) उप–खण्ड (ञ) में, शब्द "किसी भी दशा में" के पश्चात् तथा अंक एवं शब्द "45 वर्ष" के पूर्व, अंक एवं शब्द "पुरूष के लिये 40 वर्ष एवं महिला के लिये" अन्तःस्थापित किया जाये।

3. नियम 9 में,–

(क) उप–नियम (4) में, शब्द "यदि" के पश्चात्, शब्द "आयोग से परामर्श करने के पश्चात्" अन्तःस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप–नियम (7) का लोप किया जाये।

4. नियम 11 में, उप–नियम (1) में, शब्द "सेवा में भर्ती के लिए चयन" के पश्चात्, विराम चिन्ह एवं शब्द ",रिक्त पदों की संख्या पर विचार करते हुए," अन्तःस्थापित किया जाये।

5. नियम 12 में,–

(क) उप–नियम (3) में, शब्द "सभी प्रकार से उपयुक्त है" के स्थान पर, "अर्हता रखते हुए सभी प्रकार से उपयुक्त है" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(8) आयोग द्वारा तैयार की गई चयन सूची की वैधता की अवधि, आयोग के प्रक्रिया नियम के अनुसार नियत मानी जायेगी।"

(ग) उप–नियम (9) एवं (10) का लोप किया जाये।

6. नियम 18 में, उप–नियम (4) में, शब्द "31 दिसंबर" के पश्चात्, शब्द "या तीन माह" अन्तःस्थापित किया जाये।

7. नियम 28 में, व्याख्या में,–

(1) खण्ड (चार) का लोप किया जाये; तथा

(2) खण्ड (पांच) को खण्ड (चार) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये।

8. नियम 30 में, उप–नियम (8) में, खण्ड (ग) में, शब्द "साक्ष्य" के पश्चात्, शब्द "जिसमें परीक्षण, प्रति–परीक्षण एवं पुनःपरीक्षण सम्मिलित होगा" अन्तःस्थापित किया जाये।

9. नियम 37 में, शीर्षक में, शब्द "के प्ररूप" के स्थान पर, शब्द "का प्रारूप" प्रतिस्थापित किया जाये।

10. अनुसूची–चार में, सरल क्रमांक (4) के कॉलम (4) में, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"मुख्य नगरपालिका अधिकारी, वर्ग "ग" "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2018

क्रमांक एफ 4–20/2016/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–20/2016/18 दिनांक 17–05–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Naya Raipur, the 17th May 2018

NOTIFICATION

No.F4-20/2016/18. — In exercise of the powers conferred by Section 86 read with sub-section (2) of Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government makes the following further amendments in Chhattisgarh State Municipal (Executive/ Engineering/Health) Services, Recruitment and Conditions of Service Rules, 2017, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 6,-

   (i) in sub-rule(1), after clause (c), the following shall be added, namely:-

   "(d) by absorption from other Government services."

   (ii) in sub-rule (4), after the words, "he may", the punctuation comma and words ",with approval of the Chhattisgarh Public Service Commission," shall be inserted.

2. In rule 8, in clause (I),-

   (a) in sub-clause (e), in explanation,-

   (i) in para (v), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted; and

   (ii) in para (viii), after the word "etc.", the words "but is fit for Civil Services " shall be inserted.

   (b) in sub-clause (j), after the words "shall not exceed" and before the figure and word "45 years", the figure and words "40 years for men and for women" shall be inserted.

3. In rule 9, -

   (a) in sub-rule (4), after the words "if the Appointing Authority", the words "with the consultation of the Commission" shall be inserted; and

   (b) sub-rule (7) shall be omitted.

4. In rule 11, in sub-rule (1), after the words "shall be conducted", the punctuation and words ", taking into consideration the number of vacant posts," shall be inserted.

5. In rule 12,-

   (a) in sub-rule (3), for the words " is suitable in all respects ", the words "having qualification in all respects is suitable" shall be substituted;

   (b) for sub-rule (8), the following shall be substituted, namely:-

   "(8) The validity period of the selection list prepared by the Commission shall be deemed to be in accordance with the procedural rules of the Commission."

   (c) Sub-rule (9) and (10) shall be omitted.

6. In rule 18, in sub-rule (4), after the words "31st December", the words "or three months" shall be inserted.

7. In rule 28, in explanation,-

   (1) clause (four) shall be omitted; and

   (2) clause (five) shall be re-numbered as clause (four).

8. In rule 30, in sub-rule (8), in clause (c), after the word "inquiry", the words, "which shall includes examination, cross examination and re-examination" shall be inserted.

9. In rule 37, in heading, for the word "Form", the word "Format" shall be substituted.

10. In Schedule-IV, in column (4) of serial number 4, the following entry shall be inserted, namely :-

    "Chief Municipal Officer, Class-"C""

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.